न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2013 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. रईस गुल खां पिता स्वर्गीय श्री खानगुल खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव भुंगडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सज्जाद खां पिता स्वर्गीय श्री आलमखां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी शेर विलास डूंगरी हुसैनी चौक मण्डिया, बांसवाड़ा (राज.)
2. शाहजमान खां पिता स्वर्गीय श्री आलमखां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी अब्दुल्ला पीर दरगाह के आगे, बांसवाड़ा (राज.)
3. अब्बास खां पिता स्वर्गीय श्री आलमखां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी शेर विलास डूंगरी हुसैनी चौक मण्डिया, बांसवाड़ा (राज.)
4. मजीद खां पिता स्वर्गीय श्री आलमखां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी गांव देलवाडा रावले के पास, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (नाम तर्क किया गया)
5. रशीद खां पिता स्वर्गीय श्री आलमखां, नाबालिग जरिये वलीया माता श्रीमती हुसैना बी बेवा आलम खां, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, हाल निवासी गांव देलवाडा रावले के पास, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
6. फिरोज खां पिता स्वर्गीय श्री आलमखां, नाबालिग जरिये वलीया माता श्रीमती हुसैना बी बेवा आलम खां, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, हाल निवासी गांव देलवाडा रावले के पास, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा।
7. श्रीमती हुसैना बी बेवा आलम खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, हाल निवासी गांव देलवाडा रावले के पास, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. शाहीद खां पिता स्वर्गीय श्री अख्तर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी गौशाला रोड, मुस्ताक सुतार के घर के पास, बांसवाड़ा (राज.)
9. जावेद खां पिता स्वर्गीय श्री अख्तर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी गौशाला रोड, मुस्ताक सुतार के घर के पास, बांसवाड़ा (राज.)

10. जुबेर खां पिता स्वर्गीय श्री अख्तर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी गौशाला रोड, मुस्ताक सुतार के घर के पास, बांसवाड़ा (राज.)
11. श्रीमती कनीस बतुल बेवा स्वर्गीय श्री अख्तर खां, जाति मुसलमान, निवासी गांव गणेशपुरा भुंगडा, तहसील घाटोल, हाल निवासी गौशाला रोड, मुस्ताक सुतार के घर के पास, बांसवाड़ा (राज.)
12. भूमिधारी तहसीलदार घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, घाटोल दिनांक
25.10.2012 प्रकरण सं. 15/2009

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भगवतपुरी/रविपुरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12

———::———

निर्णय **दिनांक 27–01–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबा 192/1 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि गांव भुंगडा में स्थित है, जो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता स्वर्गीय आलम खां से जरिये विक्रय इकरार दिनांक 20–01–1989 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तब से वादी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी के हाल नंबर वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। अतः वादी को वाद पत्र की अनुतोष की कलम संख्या 1 अनुसार खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 4 तनकियात कायम की गयी एवं तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25–10–2012 से वादी का खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–12–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण ओर से वकील श्री भगवतपुरी/रविपुरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 12 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री साक्ष्यों के विपरीत है तथा तनकियों का सही विवेचन नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा खण्डन नहीं किया गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर अपीलान्ट को विवादित भूमि का खातेदार घोषित जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि वादी का वाद मुख्यता इकरारनामें व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है। इकरारनामें के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की खातेदारी नहीं दी जा सकता तथा काश्तकारी कानूनी में नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील सारहीन पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25–10–2012 यथावत रखा जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 27–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰** ....

रईस गुल खां पिता स्व. खानगुल खां जाति मुसलमान, निवासी गांव भुगडा तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा बनाम **सज्जाद खां पिता स्व. आलम खां जाति मुसलमान, नि.गांव गणेशपुरा भुगडा, तहसील घाटोल व अन्य**

अपील नं॰...........**6/2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........ ..... **घाटोल** .... मुकाम................मुवर्खे............**25**...............माह..............**10**.............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**27**....माह........**01**.......सन् **2020** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री जयेन्द्र पुरोहित** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री भगवतपुरी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25—10—2012 यथावत रखा जाता है। .**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**27**.....माह.......**01**...........**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:25:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: